



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Anniversary
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3290 दिनांक:- 30-6-2022

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	मयंक भाटिया पुत्र श्री विनोद कुमार (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	129	153.33
2	मयंक भाटिया पुत्र श्री विनोद कुमार (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	130	153.33
3	मोहित गर्ग पुत्र श्री एल.के. गर्ग (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	37	200.00
4	हेमन्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	45	200.00

SAL
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित कराने का श्रम करें। विज्ञप्ति प्रकाशन की राशि स्वयं भूखण्डधारी वहन करेंगे।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोट:- विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

PRR R-794
04/7/22

सली
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी- 1671

दिनांक : 01-07-2022

सार्वजनिक सूचना

जविप्रा की योजना गगन विहार के भूखण्ड संख्या 419 का विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी.	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दरतावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	419	45.00	गगन विहार	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री गिरिराज कुमार	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा से श्रीमती कल्पना पत्नि श्री सुरेश को बेचान कर दिया।	श्रीमती कल्पना पत्नि श्री सुरेश निवासी 1950, खजाने वालो का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर

आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटरी से जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को उक्त प्रोग्राम का समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।
- श्रीमती कल्पना पत्नि श्री सुरेश निवासी 1950, खजाने वालो का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर को सूचनाार्थ प्रेषित है।



उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

R. 792
5/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें.: 8340 : फ़ैक्स-+91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:- जविप्रा /उप। पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2022 / डी-एलए/दिनांक:- 30.6.2022

—सूचना:—

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्थापित/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-छातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अथोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती छोटा देवी पत्नी श्री शिवपाल (हरानपुरा-ए. गु.नि.स.समिति की योजना महावीर नगर-सी)	83-A	234.72
2	श्रीमती छोटा देवी पत्नी श्री शिवपाल (हरानपुरा-ए. गु.नि.स.समिति की योजना महावीर नगर-सी)	76	307.45
3	श्रीमती छोटा देवी पत्नी श्री शिवपाल (हरानपुरा-ए. गु.नि.स.समिति की योजना महावीर नगर-सी)	79	201.71
4	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री लल्लू लाल चौधरी (मीनावाला गु.नि.स.समिति की योजना कीर्ति सागर विस्तार-ए ब्लॉक)	2 & 3	1704.51

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिनिधि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें। विज्ञप्ति प्रकाशन की राशि स्वयं भूखण्डधारी वहन करें।
 2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।
- नोट:- विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित करवाई जावे। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRAR-293
06/07/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसंदेशन : {सम्बंधित कार्यालय} फैक्स - +91-141-2574555

N.P.-V.N.

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2021-22/101468

दिनांक: 01/07/2022

संशोधित लोक सूचना

केली देवी पत्नी रामनारायण जाति जाट सा.देह. लीलो की ढाणी, खातेदार जरिये मुख्यारआम मैसर्स नदिनी लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नवल किशोर गुप्ता पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश गुप्ता पता-57, मॉडल टाउन, खेजडों का बास, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर एवं मैसर्स नदिनी लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नवल किशोर गुप्ता कार्यालय पता-57, मॉडल टाउन, खेजडों का बास, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, सांगानेर (जयपुर)	केली देवी पत्नी रामनारायण जाति जाट सा.देह. लीलो की ढाणी, खातेदार	1256/195	3150	0.3150
			1259/196	2535	0.2535
			1262/188	3490	0.3490
		मैसर्स नदिनी लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. कार्यालय पता-57, मॉडल टाउन, खेजडों का बास, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर।	1304/184	7600	0.76
			1306/187	1400	0.14
कुल					1.8175

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 -क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एराएराओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **01-07-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/R-795
4/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2671

दिनांक 04/07/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दरतावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	740	400 वर्ग म.	श्री सुनील गोरवामी पुत्र स्व. श्री जतनपुरी गोरवामी	मुहाना गृ.नि. स.स.लि.	सचिवालय नगर

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

21-7-
उपायुक्त जोन-14
उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

21-7-
उपायुक्त जोन-14
उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

RRR-797
4/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2022 / डी- 1401

दिनांक 04-7-2022

विज्ञप्ति / सूचना

आवेदक द्वारा दरस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति योजना नाम	एवं का	आवेदक/आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दरस्तावेज
1	एल-36	किसान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं. 5 इन्कमटैक्स कॉलोनी		श्री कुशल चन्द नाहर पुत्र श्री धरम चन्द नाहर एवं श्री ज्ञान चन्द जैन पुत्र श्री धरम चन्द नाहर	श्रीमती राजेश्वरी अग्रवाल पत्नी श्री एस.पी. गुप्ता	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा, पंजीकृत वसीयतनामा, पंजीकृत बख्शीशनामा एवं पंजीकृत बख्शीशनामा

←sd
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

sd
04/07/22
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

PR/R-796
4/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141-2574798 : ईमेल - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240 : ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-1906

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवंटी/खातेदार का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	54	हरे कृष्णा विलेज-द्वितीय (निजी खातेदारी)	श्रीमती सुजा देवी पत्नी श्री रघुनाथ सहाय	मैसर्स हरे कृष्णा होटल्स प्रा0लि0 डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरणमल मोदी	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 02.05.2007

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-798
4/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-1698

दिनांक 04-7-2022

:-सार्वजनिक सूचना:-

जविप्रा की आनन्द लोक के भूखण्ड संख्या बी-133 का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	बी-133	400.00	आनन्द लोक	प्रकाश नारायण पाण्डेय पुत्र अवध नारायण पाण्डेय	जविप्रा द्वारा दिनांक 26.6.2013 को प्रकाश नारायण पाण्डेय पुत्र अवध नारायण पाण्डेय के नाम से लीजडीड जारी की गई। इसके पश्चात मूल आवंटी श्री प्रकाश नारायण पाण्डेय के द्वारा रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम श्रीमति कल्पना पाण्डेय धर्मपत्नि श्री प्रकाश नारायण पाण्डेय को नियुक्त किया गया। मुख्त्यारनामा आम श्रीमति कल्पना पाण्डेय धर्मपत्नि श्री प्रकाश नारायण पाण्डेय के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 18.04.2022 को श्रीमति नन्दु तंवर धर्मपत्नि श्री पृथ्वीराज तंवर को बेचान कर दिया गया। प्रकाश नारायण पाण्डेय पुत्र श्री ए.एन. पाण्डेय द्वारा जविप्रा द्वारा जारी मूल लीजडीड, आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, साईट प्लान व रसीद इत्यादि दस्तावेज गुम होने के सम्बन्ध में दिनांक 21.06.2021 को साइबर काइम पुलिस स्टेशन, जयपुर में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई।	श्रीमति नन्दु तंवर पत्नि श्री पृथ्वीराज तंवर निवासी 301, ऑमेक्स सिटी अलेक्षन्द्रा टॉवर, तीसरा फ्लोर, विभाग 15, एस प्लस फोर, सोसायटी बहादुरगढ, झज्जर, हरियाणा।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम की छायाप्रति व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, एफ.आई.आर. शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/आवंटन पत्र/लीजडीड जारी पत्र जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने का श्रम कराये।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

PROJ R-800
21/7/22

क्रमांक:जविप्रा /उपा. जोन-8 /2022 /डी-1918

विज्ञापित /सूचना

दिनांक:- 4/17/2022

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दरस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हरतान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहरस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हरतान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दरस्तावेज
1	47	रामद्वारा कॉलोनी (छत्रपति शिवाजी गु.नि.स. स.लि.)	श्री नरेन्द्र जैन पुत्र स्व० श्री भंवर लाल जैन	श्री भंवर लाल श्री पुत्र लाल आनन्दी जैन	मृत्यु उपरांत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 23.03.2022 के आधार पर
2	70 एवं 70ए	साविवालय विहार विस्तार (बन्धु गु.नि.स.स. लि.)	श्री रामदेव सैनी पुत्र श्रीलाल सैनी एवं श्रीमती प्रेम देवी सैनी पत्नी श्री रामदेव सैनी	स्वयं	जोन में सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं होने के कारण


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रसिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

परशुराम
22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91)-141-25725151 : ईपीटीएस - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {} : फ़ैक्स- +91-141-2574555

D:\hmc\zane\kashibh\Anno_jit.docx

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2021/डी-1499

दिनांक 22-6-2022

:- सार्वजनिक सूचना :-

जविप्रा की हाथोज करघनी विस्तार के भूखण्ड संख्या बी-161 का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की वैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	बी 161	162.00	हाथोज करघनी विस्तार	श्री रमेश चन्द डाबी पुत्र श्री रामरवरुप डाबी	अपलोड मृत्यु प्रमाण पत्र अनुरार श्री रमेश चन्द डाबी पुत्र श्री रामरवरुप डाबी दिनांक 24.03.2020 को हो गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दो वारीस 1. कल्पना डाबी (पुत्री) 2. श्री कुनाल डाबी (पुत्र) का उल्लेख किया गया है। कल्पना डाबी पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द डाबी व श्री कुनाल डाबी पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द डाबी द्वारा भूखण्ड संख्या बी-161 हाथोज करघनी विस्तार को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर श्रीमति निर्मला डाबी पत्नि स्व. श्री रमेश चन्द डाबी को दिनांक 06.06.2022 को हकत्याग कर दिया गया है।	श्रीमति निर्मला डाबी पत्नि स्व. श्री रमेश चन्द डाबी, निवासी 65/50, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस शपथ पत्र व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी पत्र जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने का श्रम कराये।
- श्रीमति निर्मला डाबी पत्नि स्व. श्री रमेश चन्द डाबी, निवासी 65/50, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

PRD/R-802
4/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 1500

दिनांक 22-6-2022

-:सार्वजनिक सूचना:-

जविप्रा की योजना हाथोज विस्तार के भूखण्ड संख्या वी-92 का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	वी-92	162.00	हाथोज विस्तार	श्री झूंगर सिंह चौहान पुत्र श्री नरसिंह चौहान	1. श्री झूंगर सिंह चौहान पुत्र श्री नरसिंह चौहान के द्वारा अनरजिस्टर्ड इकरारनामा (नोटरी प्रमाणित) के आधार पर श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता को दिनांक 25.09.2004 को बेचान कर दिया गया।	श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चंद्र गुप्ता निवासी रेलवे माल गौदाम के पीछे, वार्ड नं. 40 सूजानगढ जिला चूरु (राज.)।

आप द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी पत्र जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने का श्रम कराये।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

PRO/R 801
04/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2022/डी- 1828

दिनांक 01/7/22

सार्वजनिक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी संपत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिड़की/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में वह मय दरतावेज प्रस्तुत करें।

लीजडीड धारक का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	योजना का नाम	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
श्री अमरदीप सिंह पुत्र श्री पृथ्वीपाल सिंह	294	162.00	आश्रय विहार	श्री अमरदीप सिंह पुत्र श्री पृथ्वीपाल सिंह की मृत्यु दिनांक 09.02.2018 को मृत्यु होने पर पत्नी तथा पुत्र द्वारा नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा चाहने बाबत।

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 01/7/22 गेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-803
4/7/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4509

दिनांक: 1/7/2022

लोक सूचना

चन्द्रशेखर मीणा पुत्र मंगलराम मीणा हिस्सा पूर्ण जाति-मीणा नि. 17 रॉयल नगर दुर्गापुरा टोंक रोड़ जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	ग्राम-राजपुरखान्या	चन्द्रशेखर मीणा पुत्र मंगलराम	118	0.1300
			119	0.3100
			123	0.0600
			446 / 124	0.0066
			448 / 127	0.0134
			किता-5	0.5200 हेक्टे

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 1/7/2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PKR-854
4/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/जोन-14/2022/डी-2674

दिनांक 4/7/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दरतावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहरतान्तरण जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1.	A6/F/F/3	EWS	श्रीमती मुकेश देवी पत्नी रव. श्री देशराज सैन, निवासी एफएफ/3/ए-6, सहभागिता प्लैट, ग्राम वाटिका तह. सांगानेर, जयपुर।	रिजेन्सी बिल्डिंग प्रो0लि0 जेपी-12	श्यामपुरा बुहारिया

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किररी व्यक्ति, वारिस संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14

ज. वि. प्रा. जयपुर

उपायुक्त, जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापि का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली

उपायुक्त जोन-14

उपायुक्त, जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर

PRO/R-805
4/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101723

दिनांक: 04/07/2022

लोक सूचना

श्री चेतन चौधरी पुत्र श्री बाबूलाल जाट जाति जाट निवासी बडी का खेडा, बेगस रोड, बगरू-303007
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य (पेट्रोल पम्प) प्रयोजना के उपयोग हेतु ऐसी भूमि
के अपने अभिघृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफला (हेक्टे)
1.	बडी का खेडा, सांगानेर (जयपुर)	चेतन चौधरी पुत्र बाबूलाल चौधरी	538	737.74	0.0737
कुल					0.0737

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04.07.2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101892

दिनांक: 22/06/2022

लोक सूचना

श्री मन्नी देवी पत्नी श्री शंकर लाल सैनी जाति माली निवासी 54, जीवनदीप कॉलोनी, रोड नं. 14, सीकर रोड, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजना के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे)
1.	नीदड़, आमेर (जयपुर)	मन्नी देवी	1077 / 3	1500.00	0.15
कुल					0.15

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22.06.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी- 541

दिनांक 4/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ई-512	लालकोठी योजना, जयपुर	श्री गणेश कुमावत व श्री चेतन कुमावत पुत्रान श्री लक्ष्मण	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री गोरधन लाल	स्वघोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्रों, सजरा शपथ पत्र की प्रति

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक:जविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी-497

दिनांक 21/6/2022

विज्ञप्ति/सूचना


निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए-47	योजना गोलीमार गार्डन (स्कीम नं. 1)	श्री राहुल शर्मा पुत्र स्व. श्री विश्वनाथ शर्मा	श्री विश्वनाथ शर्मा पुत्र श्री नारायण दास शर्मा	स्वधोषणा पत्र, रजिस्टर्ड वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्रों, सजरा शपथ पत्र की प्रति


उपायुक्त जोन-3
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन-3
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष : (0141-2574788) : (0)ईपीबीएक्स: 0141-2569696 एक्सटे.: (8220): फ़ैक्स: +91-141-2574555

दस्तावेजात पत्र की प्रति

Cher)

पत्रों की संख्या (No. of pages)

हस्ताक्षर (Signature of A

23